

# हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई

अंक २८

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १० सितम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें ₹० ६  
विदेशमें ₹० ८; शि० १४

## हम युद्धका आश्रय नहीं लेंगे

[प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूके अन्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटीके सम्मुख सीतापुरमें २१ अगस्तको दिये गये भाषणकी पत्रोंमें छपी रिपोर्टका सार नीचे दिया गया है।]

“हम शांति चाहते हैं लेकिन किसी भी हालतमें हम युद्ध करेंगे ही नहीं, अंसी कोभी प्रतिज्ञा मैंने या हमारी सरकारने नहीं ली है। अगर हमारे देश पर आक्रमण हुआ, तो हम अपनी सारी ताकत लगाकर उसकी रक्षा करेंगे और उसके लिये अपनी सेनाओंका अुपयोग भी करेंगे। लेकिन जिसके सिवा किसी भी दूसरी परिस्थितिमें हम युद्धका आश्रय नहीं लेंगे।”

प्रधानमंत्रीने कहा, “आजादीके बादसे ही अपनी घोषित नीतिके अनुसार पुर्तगाली सरकारके साथ शांतिपूर्ण समझौता करनेकी हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन उसने हमारी कोशिशोंकी अपेक्षा की है, हमें दुतकारा है, और जिस सवाल पर बातचीत तक करनेसे अिन्कार किया है। जिसी बुद्देश्यसे हमने वहां अपना दूतावास स्थापित किया था, लेकिन हमें उसे वापिस हटा लेना पड़ा, क्योंकि उसका कोभी अुपयोग न था। पुर्तगाली सरकारने हमारा कभी बार अपमान किया है और गोआमें उसका शासन अत्यंत क्रूर और निष्ठुर है, किन्तु जिसके बावजूद हम अपनी शान्तिकी नीतिका पालन करते रहे हैं।”

प्रधानमंत्रीने कहा कि पहला सवाल, जिसके बारेमें हमें स्पष्ट निश्चय कर लेना चाहिये, यह है कि “जिस मामलेमें हमें, जैसा हम करते आये हैं उसी तरह, शान्तिपूर्वक व्यवहार करते रहना चाहिये या कि हमें सैनिक अुपायोंका, या जिसे पुलिस कार्रवायी कहा जाता है, उसका आश्रय लेना चाहिये।”

“हमें निश्चय है कि शान्तिका तरीका ही सही है, केवल गोआ और भारतकी दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि दुनियाके ज्यादा बड़े सवालोंने और अपनी असु विदेशनीतिकी दृष्टिसे भी जिसका हम काफी सफलताके साथ पालन कर रहे हैं। जिस शान्तिपूर्ण तरीकेके पालनसे हमें पाण्डिचेरीमें अनुकूल फल प्राप्त हुआ और आज हम और फ्रांस अच्छे मित्र हैं। सैनिक शक्तिके जरिये गोआ पर अधिकार कर लेना हमारे लिये आसान है, लेकिन वैसा करनेका मतलब जिन आदर्शोंकी हम घोषणा करते आये हैं उनका परित्याग करना होगा। जिसके सिवा गोआके निवासियोंके साथ जिसमें न्याय नहीं होगा। हम युद्ध या युद्धजैसी बातोंके जरिये समस्याओंके समाधानके खिलाफ रहे हैं और हम अपने जिस निश्चय पर अडिग रहना चाहते हैं।”

अन्होंने आगे कहा, “अगर यह ठीक है तो फिर हमें बिना सोचेसमझे ‘पुलिस कार्रवायी’ या जिस तरहकी दूसरी बातोंकी चर्चा नहीं करना चाहिये। अंसी बातें हमारी नीति, हमारे सिद्धान्तों और हमारी प्रतिष्ठाके अनुकूल नहीं हैं। अगर कुछ लोग अंसा समझते

हैं कि हम जिस सवालको शान्तिपूर्ण अुपायोंसे हल नहीं कर सकते, तो फिर अन्हें कुछ अवसरों पर युद्धकी आवश्यकताको भी मानना होगा। असु स्थितिमें सवाल यह होगा कि अमुक अवसर युद्ध करनेजैसा है, जिस बातका निश्चय कौन करेगा। हरअेक देश खुद ही जिस बातका निर्णय करने लगे, तो युद्धोंकी बाढ़का दरवाजा खुल जायगा। अंसा नहीं समझना चाहिये कि छोटा-मोटा युद्ध तो अुचित है, लेकिन बड़ा युद्ध अुचित है। अगर हम अेक बार सिद्धान्त छोड़ दें, तो फिर अपनी जगह मजबूतीसे खड़े रहका हमारा सहारा छिन जाता है; फिर हम दुनियामें शान्तिकी स्थापनाके लिये, जो कि मानवजातिके भविष्यके लिये अितनी जरूरी है, काम नहीं कर सकते।”

(अंग्रेजीसे)

जवाहरलाल नेहरू

## गोआका स्वातंत्र्य-युद्ध और गांधीजी

[गोअन यूथ लीगके दो प्रतिनिधि महात्मा गांधीसे ३ जुलाबी, १९४६ को मिले थे। अन्होंने गोआके स्वातंत्र्य-युद्धके बारेमें गांधीजीसे जो प्रश्न पूछे थे, उनके अन्होंने नीचे लिखे अुत्तर दिये थे। आजकल गोआकी स्वतंत्रताके लिये जो आन्दोलन चल रहा है, उसे दृष्टिमें रखते हुये ये प्रश्नोत्तर दिलचस्प मालूम होंगे। ये १५ अगस्त, १९५५ के अे० आजी० सी० सी० के ‘अिकॉनामिक रिव्यू’ से यहां अुद्धृत किये जाते हैं।]

प्र० — फिलहाल पुर्तगाली साम्राज्यवादके खिलाफ हमारी लड़ायी नागरिक स्वतंत्रतायें प्राप्त करनेके लिये है। जिसलिये हमें किस प्रकारका सत्याग्रह करना चाहिये?

अु० — आपको नागरिक स्वतंत्रताओं पर होनेवाले हरअेक हमलेका सामना सविनय आज्ञाभंग द्वारा करना होगा। लेकिन जिससे पहले आपको स्पष्ट समझाना चाहिये कि कौन कौनसी नागरिक स्वतंत्रताओंके लिये आप लड़ रहे हैं। आप अंसी किसी चीजकी मांग नहीं कर सकते, जिसके लिये आपको नैतिक अधिकार नहीं है। जिसके सिवा, आपका आन्दोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिये।

प्र० — पुर्तगाली सरकारका औपनिवेशिक शासनतंत्र सभाओंके लिये पहलेसे अिजाजत लेना जरूरी ठहराता है, लेकिन हम बिना सूचना दिये भी सभायें करनेका अधिकार चाहते हैं।

अु० — बिना सूचना दिये सभायें करनेका आपको पूरा अधिकार होना चाहिये। कोभी भी स्वाभिमानी मनुष्य अंसी किसी बातके करनेमें डाली जानेवाली एकावटको सहन नहीं कर सकता, जो नैतिक दृष्टिसे न्यायपूर्ण है। हम स्वतंत्र मनुष्य हैं और हम शान्तिपूर्ण ढंगसे सभायें करना चाहते हैं। जिसके लिये हम पहलेसे कोभी सूचना नहीं दे सकते। जिसलिये बिना सूचना दिये आपको सभायें करनी चाहिये।

प्र० — मान लीजिये हम सभा बुलाते हैं, लोगोंके सामने भाषण देते हैं और गिरफ्तार कर लिये जाते हैं, लेकिन बादमें पुलिस हमें किसी निश्चित दिन फिर हाजिर होनेकी बात कह कर छोड़ देती है, तो क्या हमें पुलिसकी यह बात मंजूर करनी चाहिये? अथवा हमें पुलिस अहाता छोड़नेसे अन्कार कर देना चाहिये, या बाहर आ जाना चाहिये और अन्तके लगाये प्रतिबन्धोंको फिरसे तोड़ना चाहिये?

अ० — जिस पुलिसको आपको गिरफ्तार करनेका अधिकार है, उसे आपको छोड़ देनेका भी अधिकार है। जिसलिये आपको बाहर जाने दिया जाय तो आपको चले जाना चाहिये। आपको पुलिससे अपनेको हिरासतमें रखनेका आग्रह नहीं करना चाहिये। लेकिन एक बार बाहर निकल जानेके बाद आप फिर प्रतिबन्धको तोड़ सकते हैं। अगर पुलिसके सामने फिरसे हाजिर होनेका कोई दिन निश्चित कर दिया जाय, तो एक सभ्य मनुष्यके नाते ऐसा करना आपका फर्ज है।

प्र० — जब कांजी सत्याग्रही गिरफ्तार किया जाय, तब लोगोंको कैसा व्यवहार करना चाहिये?

अ० — अगर कोई सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिया जाय, तो किसी तरहका प्रदर्शन या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। लोगोंको पूर्ण शान्ति रखनी चाहिये और व्यक्तिगत रूपमें या सामूहिक रूपमें गिरफ्तार होनेकी तयारी दिखानी चाहिये। किसीके गिरफ्तार किये जाने पर हड़ताल या ऐसी ही कोई दूसरी बात करनेकी में हिमायत नहीं कर सकता। अन्तमें आपको जानना चाहिये कि सत्याग्रही स्वच्छसे गिरफ्तारीको न्योतता है, जिसलिये अगर लोग कुछ करना ही चाहते हैं, तो उन्हें सत्याग्रहीके अदाहरणका अनुकरण करना चाहिये। जहाँ तक प्रदर्शन वगैरका सम्बन्ध है, वे बादमें आयेंगे।

प्र० — प्रेसकी पूर्व-जाचके नियमको कैसे तोड़ा जाय?

अ० — जिसका अमल सचमुच कठिन है, लेकिन मैं जिसके दो हल बता सकता हूँ।

पहला वह है, जिस पर मैंने दक्षिण अफ्रीकामें अमल किया था। जिसमें हस्तलिखित बुलेटिन निकाले जाय, जिन्हें स्वयंसेवक खुले आम बेचें। अिन बुलेटिनमें सरकारका भंडाफोड़ करनेवाले और उसके कानूनकी अवज्ञा करनेवाले समाचार होने चाहिये। अगर लिखनेवाले लोग प्रत्येक बुलेटिनके नीचे अपने पूरे नाम लिखा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और आपमें से बहुतसे लोग मिलकर काम करें, तो बहुतसी प्रतियां निकालना कठिन नहीं होगा। अगर सरकार सम्बन्धित लोगोंको गिरफ्तार कर ले तो दूसरे यह काम जारी रख सकते हैं।

दूसरा हल यह है कि बाहरसे छपी सामग्री प्राप्त करके खुले आम बांटी जाय।

प्र० — संस्थाओं पर लगाया गया प्रतिबन्ध कैसे तोड़ा जाय?

अ० — जितनी चाहें उतनी संस्थायें खोलिये और अन्तके नाम पर काम करना शुरू कर दीजिये।

प्र० — अगर सरकार गोलीबार वगैर करे तो लोगोंको क्या करना चाहिये?

अ० — ऐसी घृणास्पद परिस्थितियोंमें जीवित रहनेके बजाय बहादुरीसे मर जाना ज्यादा अच्छा है। लोग सरकारसे कह दें: "अच्छा, हम पर गोली चलाओ!"

प्र० — जब किसी सत्याग्रहीको यत्नार्थ पहुंचाया जाय, तब वह अपनी निष्ठा और साहसको कैसे कायम रखे?

अ० — सत्याग्रहीको कभी पीछे नहीं हटना चाहिये। उसे हर तरहकी यातनायें बहादुरीसे सहनी चाहिये।

प्र० — गोआका कैथोलिक चर्च अगर पुर्तगाली शासकोंके हाथमें दमनका सक्रिय साधन बन जाय, तो सत्याग्रहीका अस्के प्रति क्या रख होना चाहिये?

अ० — धर्मको जिस आन्दोलनसे अलग रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर वह सचमुच अत्याचारियोंके हाथका खिलौना बन जाय, तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप अस्के विरोध अस्सी तरह करें, जिस तरह आप किसी दमनकारी हुकूमतका विरोध करेंगे। लेकिन अस्के विरोध अस्सी हद तक कीजिये, जिस हद तक वह आपके ध्येयकी सिद्धिमें बाधक बनता है।

पूछे गये सारे प्रश्नोंका उत्तर देनेके बाद महात्मा गांधीने कहा: "अब मैंने आपके सारे प्रश्नोंके उत्तर दे दिये हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी हिम्मत दिखायें और आन्दोलनको शिथिल बनकर खतम न हो जाने दें। अगर लोग त्याग करनेके लिये तैयार न हों, तो किसी अकेले आदमीको ही — जिसे लगता है कि अन्यायका विरोध करना चाहिये — अनुयायियोंकी प्रतीक्षा किये बिना त्यागके लिये तैयार हो जाना चाहिये। आप जेलमें सड़ते रहें; दूसरोंकी आंखें कभी न कभी जरूर खुलेंगी।

"जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो ऐसे अमानुषिक कानूनोंको तोड़े बिना एक क्षण भी गोआमें नहीं रहता।"

गांधीजीसे विदा मांगनेसे पहले हमने अन्तके आशीर्वाद चाहे। अन्तोंने कहा: "आपके जिस आन्दोलनको मेरे हादिक आशीर्वाद है। मैं आपको वचन देता हूँ कि जिस बातके लिये मैं अपना सारा प्रभाव लगा दूंगा कि कांग्रेस गोआके प्रश्नमें रस ले और गोआ भारतके नक्शे पर आ जाय। केवल आप साहस दिखाविये, साहसकी मैं कदर और तारीफ करता हूँ।"

(अंग्रेजीसे)

## युद्ध और शान्ति-कालमें सेनाके कार्य

लेफ्टिनेंट जनरल के० अंस० तिममैयाने — जिन्होंने कोरियन संघि-वार्तामें अपनी कार्यकुशलताके कारण अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की है — अभी कुछ दिन पहले बम्बयीमें 'प्रोग्रेसिव ग्रुप' नामके एक मण्डलके सामने भाषण देते हुये शान्ति-कालमें सेनाके कार्य पर अपना मत प्रगट किया। अस्में अन्तोंने एक बात यह कही कि जब युद्ध होता है, तब तो सेना लड़नेका काम करती ही है, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा होता और शान्ति होती है, तब वह लड़नेके लिये अपनेको योग्य बनानेका काम करती है। जिसलिये अगर अन्तें ऐसे कार्योंमें लगाया जाय जिससे अन्तकी कवायद-कसरत आदि तैयारी-सम्बन्धी काममें बाधा आती हो तो अन्तकी अपनी विशेष कार्य-क्षमतामें कमी आयेंगी, खासकर जिसलिये कि हमारी प्रतिरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी दृष्टिसे अन्तकी संख्या कम-से-कम जितनी होनी चाहिये अतनी ही है। हम मानते हैं कि श्री तिममैयाका मतलब यह नहीं था कि बाढ़ या अकाल जैसी राष्ट्रीय विपत्तियोंके अवसरों पर भी सेनाको सहायताके लिये नहीं बुलाना चाहिये। तो फिर शान्ति-कालमें जिन कार्योंमें सामान्यतः सेनाका उपयोग अन्तके मतानुसार नहीं होना चाहिये, वे कार्य क्या हैं? अदाहरणके लिये, सरकार अिन दिनों सिंचाईकी बड़ी-बड़ी योजनाओंको कार्यान्वित कर रही है। लोगोंसे अपेक्षा की जाती है कि वे अिन कार्योंके लिये बड़ीसे बड़ी संख्यामें श्रमदान अर्पित करें। सेनाको ऐसे कार्य व्यवस्थापूर्वक और जल्दी करनेकी तालीम प्राप्त है; तो असे लोगोंके द्वारा दिये जानेवाले जिस श्रमदानके दिग्दर्शन और नियंत्रणका कार्य सौंपा जा सकता है या नहीं? बेकार पड़ी हुयी श्रमशक्तिको उपयोगी राष्ट्रीय कार्योंमें नियोजित करना चाहिये, जिस तरहकी बात आजकल बहुत होती है। लेकिन संघटन और अनुशासनकी कमीके कारण अस्में बहुत-सा श्रम बेकार जाता है और

काम अच्छा नहीं होता। इस कमीको दूर करनेका यह महत्त्वपूर्ण काम हमारी सेनाके करने जैसा है, अलबत्ता उसे हमारे सामान्य स्त्री-पुरुषोंके साथ हिलमिलकर तथा सादगी और नम्रतापूर्वक काम करना पड़ेगा। अगर हम यह आशा रखते हैं कि किसी दिन युद्ध बिलकुल बन्द हो जायेंगे, तो हमें यह भी समझ लेना होगा कि बाइबिलकी भुक्तिके अनुसार हम अपने लड़ाइके सारे हथियारोंको खेतीके औजारोंमें बदल सकें या नहीं, लेकिन हमारी सेनाको शान्ति और उत्पादनके कुदाली और हल जैसे औजारोंका भुपयोग करना जरूर सीख लेना होगा; उसे केवल युद्ध-क्षेत्रकी सेना ही नहीं, शान्ति-कालमें हमारी भूमि-सेना भी बनना होगा। हां, यह काम उसे जिस तरह करना होगा कि उसके कवायद-कसरत-सम्बन्धी सामान्य कार्यक्रममें कोजी विघ्न न पड़े।

२९-८-५५  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

### नौजवानोंमें अनाचार

बम्बईसे एक भाजी लिखते हैं:

“ता० ८-८-५५ के ‘मुम्बई समाचार’ में नीचेके समाचार पहले पृष्ठ पर छपे हैं: ‘चौपाटी और हेंगिंग गार्डन पर स्त्रियोंको छेड़नेके अपराधमें ३३ आदमी पकड़े गये’। जिस बार अिन नौजवानोंमें अधिकतर अूँचे वर्गके घरोंके लड़के थे। ‘पकड़े गये लोगोंमें एक ग्रेज्युअट और एक डबल ग्रेज्युअटका समावेश होता है’।

“मुझे याद है कि पिछली लड़ाइके दिनोंमें एक गोरे सैनिकने किसी स्त्रीकी छेड़खानी की थी। उस समय वापूजीने तत्कालीन वाजिसरायको शिकायतका एक कड़ा पत्र लिखा था। १९३६ से हमारे देशमें प्रान्तीय स्वराज्य मिला था। पहले शिक्षामंत्री बालासाहब खेर थे। उसे २० बरस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम जनताके मानसको सुधार नहीं सके हैं। जो काम अज्ञान दूर करनेसे होता है, वह काम आज पुलिसको करना पड़ता है। आज हमारे देशमें अपना राज्य है, जीवन-मान अूँचा अुठानेके प्रयत्न हो रहे हैं। अैसे समय शहरोंमें यदि हमारी मां-बहनोंकी छेड़खानी की जाय, तो जिसका अर्थ यह होता है कि हमारा जीवन-मान नीचे गिर रहा है। स्वतंत्रताके बदले स्वच्छन्दता बढ़ रही है। मराठीमें एक कहावत है, ‘गढ़ आया लेकिन सिंह गया’। उसी तरह आज हमारा राज्य तो आया लेकिन हमारी आत्मा चली गयी।”

जिसी तरहकी शिकायत अहमदाबादमें भी अमुक हृद तक हो रही है। पता चला है कि रास्तों पर ही नहीं, कालेजके वर्गोंमें और अध्यापकोंकी नजरके सामने विद्यार्थी विद्यार्थिनियों पर ‘बाण’ मारते हैं और तरह तरहसे अुन्हें छेड़ते हैं। पढ़नेवाले जगत्के ‘लड़कों’ में आज अैसी बातें जोर पकड़ती जा रही हैं।

जिसका कारण क्या है? जिसका कारण सिनेमा और अपुन्यास-सृष्टि हो तो आश्चर्य नहीं। ये दोनों चीजें नौजवानोंके मन पर खूब सवार हो गयी हैं। और पढ़ाअीमें कोजी विद्या-तेज नहीं रहा। अुससे अैसा मानसिक अनुशासन या कठोर नियमन नहीं पैदा होता, जो जिस तरहके नैतिक पतन और सड़ांधको रोके। जिसके सिवा, समाजके शहरी जीवनमें तथा अुद्योग-धन्धोंसे सम्बन्धित व्यवहारमें धर्मभीरता या प्रामाणिकताकी मात्रा अितनी कम हो गयी है कि धर्मकी ढाल और संयमकी संस्कारिता भी नौजवानोंको कोजी मदद नहीं पहुंचाती। जिस कारण सारी चीज पुलिसके हाथोंमें चली जाती है। यह हमारे संस्कारबलकी हृद बताता है, जिस प्रकारकी पत्रलेखककी शिकायत अत्यंत कष्ट

कही जायगी। शिक्षाकार और धर्मनायक जिस प्रश्न पर विचार करके शिक्षा और धर्ममें आज जो जड़ता और दंभ आ गया है, अुसे दूर करनेका प्रयत्न करें, तो ही समाजमें सदाचार बलकी स्थापना हो सकती है। आज केवल आर्थिक दृष्टिसे देशकी विकास-योजनाओंका जो विचार किया जाता है, अुसका भी हमारे नैतिक मानस पर अच्छा असर नहीं पड़ता।

(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

### भाषायें और भारतीय अेकता

अेक अनुकरणीय अुदाहरण

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके वाजिस-चान्सलर डॉ० पी० रामस्वामी अय्यरने पिछले मंगलवार भारतीय भाषा संगम नामक अेक संस्थाका अुद्घाटन किया। जिस संस्थामें अैसे प्रत्येक आदमीको तामिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी और गुजराती भाषाकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया गया है, जो ये भाषायें सीखना चाहता है। यह आरंभ जिस विश्वासके आधार पर किया गया है कि राष्ट्रीय अेकता और संगठनके लिये यह बहुत आवश्यक है कि भारतका प्रत्येक नागरिक अपने प्रदेशसे भिन्न प्रदेशों और संस्कृतियोंके बारेमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करे। यह विश्वास अितनी बार और अितने लोगों द्वारा प्रकट किया जाता है कि यह आश्चर्यकी ही बात है कि अधिक लोगोंको जिस विषयमें कोजी ठोस कदम अुठानेकी बात क्यों नहीं सूझी। और किसी प्रजाके मानस और संस्कृतिको जाननेका अुसकी भाषा और साहित्यसे बढ़कर दूसरा कोजी साधन नहीं है।

जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यह थोड़े आश्चर्यकी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और दूसरी विदेशी भाषाओंके वर्ग खोलनेमें तो अेक-दूसरेसे होड़ लगाते हैं, लेकिन भारतकी प्रादेशिक भाषायें सिखानेके लिये वर्ग शुरू करनेकी बात शायद ही किसीको सूझती है। कमसे कम तामिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और गुजरातीमें ही डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जायें, जिनकी शिक्षा भारतीय भाषा संगमने शुरू की है, और केन्द्रीय तथा दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन यह घोषणा कर दें तो अच्छा हो कि शासन-सम्बन्धी नौकरियोंके लिये अैसे अुम्मीद-वारोंको तरजीह दी जायगी, जो अेकसे अधिक भारतीय भाषायें जानते होंगे।

[यह अिलाहाबादके अंग्रेजी दैनिक ‘लीडर’ के ता० २७-८-५५ के अंकमें छपे सम्पादकीय लेखसे दिया गया है। ‘हरिजन’ सदासे भारतीय विश्वविद्यालयोंमें जिस सुधारकी हिमायत करता रहा है। हमारी महान भारतीय भाषाओंका पारस्परिक और आदर-पूर्ण अध्ययन करके तथा आन्तर-प्रान्तीय और अखिल भारतीय व्यवहारके लिये हिन्दीका ज्ञान प्राप्त करके ही भारतकी अेकता सिद्ध की जा सकती है और अुसे मजबूत बनाया जा सकता है। भगवान करे हमारे शिक्षा-मंत्रालय और विश्वविद्यालय जिस चीजको समझें और जिसके अनुसार शिक्षाका पुनर्गठन आरंभ करें।

२-९-५५  
(अंग्रेजीसे)

-- म० प्र० ]

### राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

[ दूसरा संस्करण ]

लेखक : गांधीजी; अनु० काशिनाथ त्रिवेदी

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

## हरिजनसेवक

१० सितम्बर

१९५५

### गोआका प्रश्न

२१ अगस्त, १९५५ को अन्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटीके सदस्योंके सामने भाषण देते हुये श्री जवाहरलाल नेहरूने सीतापुरमें कहा कि शांतिपूर्ण तरीके अधिक समय लेते दिखायी देते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अन्तमें वही सबसे ज्यादा व्यावहारिक सिद्ध होते हैं और आन्तर-राष्ट्रीय सम्बंधोंका अधिक अंचा स्तर पेश करते हैं।

श्री नेहरूने कहा, "हमारे सामने गोआके खिलाफ आर्थिक कदम अठानेका रास्ता खुला है, हमने बहुतसे कदम अठाये हैं तथा हम और भी ज्यादा अठाने सकते हैं। हम दूसरे प्रकारके कदम भी अठाने सकते हैं, जिन पर सावधानीसे विचार करना होगा।" ये सब शांतिपूर्ण कदम हैं। ये शक्तिशाली हथियार हैं, हालांकि वे अकेलेको भी नतीजा नहीं लाते।

अन्होंने कहा कि भारतमें भी गोआके प्रश्न पर काफी भ्रमपूर्ण विचार फैला हुआ है और कुछ विदेशोंमें तो यह भ्रम या शायद जान-बूझकर पैदा की हुआ गलतफहमी भारतसे भी ज्यादा पायी जाती है। "मुझे कुछ विदेशी आलोचनाओं पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ है, क्योंकि वे असी पुराने औपनिवेशिक मानसके कायम रहनेकी सूचक हैं जिसने अशिया और अफ्रीकाको अितना नुकसान पहुंचाया है। हम जिस भ्रमको दूर करनेका प्रयत्न करें और हकीकतोंको स्पष्ट रूपमें देखें।"

"गोआमें हमारा क्या लक्ष्य है? गोआ भौगोलिक दृष्टिसे भारतका एक हिस्सा है। हम दुनियामें हर जगह औपनिवेशवादका विरोध करते हैं, जिसलिये भारतके एक छोटेसे भागमें औपनिवेशिक शासनको बरदाश्त करना हमारे लिये असंभव है। गोआके लिये हमें कौसी लोभ नहीं है। वह छोटासा भूभाग अगर भारतमें मिल जाता है, तो उससे जिस विशाल देशमें कौसी बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। लेकिन विदेशी औपनिवेशिक शासनके मातहत रहनेवाला एक छोटासा टुकड़ा भी जरूर फर्क पैदा कर देता है और वह भारतके स्वाभिमान और राष्ट्रीय हितोंके लिये हमेशाका खतरा है। वह असी हालतमें विशेष करके खतरेका साधन बन जाता है, जब पुर्तगाल जैसे शत्रुताका भाव रखनेवाले प्रतिगामी देशकी अुस पर हुकूमत हो।"

प्रधानमंत्रीने कहा, "गोआके लोग कौन हैं? वे हमारे ही लोगोंमें से हैं। पुर्तगाली जनगणनाके अनुसार अुनमें दो प्रतिशत लोग भी अैसे नहीं हैं, जिनकी मातृभाषा पुर्तगाली हो। बाकीके लोग वंशसे, नसलसे, भाषासे और अन्य कौसी दृष्टियोंसे भारतीय हैं। अुनमें से लगभग दो-तिहायी लोग हिन्दू हैं और अक-तिहायी लोग कैथोलिक अीसायी हैं। भारतके बाकीके भागमें लाखों रोमन कैथोलिक अीसायी हैं, जो अुतने ही भारतीय हैं जितने कि भारतके अन्य लोग। गोआका आर्थिक जीवन अनिवार्य रूपमें भारतके साथ जुड़ा हुआ है। अतः हमारे लिये यह स्वाभाविक है कि हम गोआके लोगोंके साथ अकताकी भावना अनुभव करें और विदेशी औपनिवेशिक हुकूमतमें हो रहे अुनके दमनके कारण हमें दुःख हो।"

"लेकिन," श्री नेहरूने कहा, "हम गोआके लोगोंकी अिच्छाके विरुद्ध अपने-आपको अुन पर लादना नहीं चाहते। अन्तमें चुनाव तो अुन्हींको करना है। हमें विश्वास ही गया है कि गोआके ८०

से ९० प्रतिशत लोग पुर्तगाली शासनसे मुक्त होना चाहते हैं और भारतके साथ अधिक गहरा सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं। जिसलिये मुख्य बात है पुर्तगाली शासनसे मुक्ति और भारतसे औपनिवेशवादके अिस अंतिम चिन्हको मिटाना। हमने गोआके लोगोंको यह वचन दिया है कि अपना भविष्य वे स्वयं निश्चित कर सकते हैं; अुनके धर्म, भाषाओं और रीत-रिवाजकी रक्षाके बारेमें भी हमने अुन्हें विश्वास दिलाया है।"

श्री नेहरूने कहा, "दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि गोआके लोगोंको अपनी राय भी जाहिर नहीं करने दी जाती। पुर्तगालियोंने वहां पुलिस राज्य खड़ा कर दिया है। और अुनके खिलाफ जो लोग जरा भी अपनी राय जाहिर करते हैं अुन्हें जेलकी लम्बी-लम्बी सजायें दी जाती हैं। पुलिसकी अिजाजतके बिना वहां धार्मिक सभा-सम्मेलन भी नहीं किये जा सकते। अगर गोआके लोगोंको वाणीकी स्वतंत्रता और थोड़ी भी नागरिक स्वाधीनता होती तो कौसी कठिनायी नहीं रहती।"

प्रधानमंत्रीने आगे कहा कि प्रश्न भारतका गोआ पर अपने-आपको लादनेका नहीं, बल्कि गोआनी लोगोंकी आजादीका और पुर्तगालकी औपनिवेशिक हुकूमतका खात्मा करनेका है। गोआकी समस्या हमारे सामने कौसी बरसोंसे खड़ी है और हालकी कुछ घटनाओंने हमारे लोगोंको क्रोध और विरोधकी भावनासे भर दिया है। लोगोंका यह क्रोध और विरोध समझमें आ सकता है। लेकिन अुनके मनमें गड़बड़ी पैदा हो सकती है और गड़बड़ीके कारण किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। जिसलिये अिस प्रश्न पर हमें गंभीरतासे और शान्त चित्तसे अुसके सारे पहलुओंको दृष्टिमें रखकर विचार करना चाहिये।

श्री नेहरूने कहा, "हमारा पहला विचार अुन लोगोंको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करनेका होना चाहिये, जिन्होंने गोआकी स्वतंत्रताके ध्येयके लिये अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी या बड़े-बड़े त्याग किये हैं। अिसमें गोआके लोग और भारतके लोग दोनों शामिल हैं। यह याद रखना चाहिये कि गोआनिवासी पुर्तगालकी औपनिवेशिक हुकूमतके अत्याचारोंसे अपने-आपको मुक्त करनेके प्रयत्नमें पिछले कौसी वर्षोंसे कष्ट भोगते रहे हैं।"

"अिस अदम्य साहसके ताजे अुदाहरणोंका हमारे लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था—वह साहस जो मृत्युको निकट देखकर भी कमजोर नहीं पड़ा। अिन बहादुर सत्याग्रहियोंके अवसानसे शोकसंतप्त होना हमारे लिये स्वाभाविक है; लेकिन मैं कहूंगा कि यह अवसर हमारे लिये आनन्द और गौरवका भी है, क्योंकि हमारे देशके बहुतसे स्त्री-पुरुषोंने यह अुंचा अुदाहरण हमारे सामने रखा है। केवल शोक मनानेके बजाय अिस पहलू पर भी हम अार दें। मौत तो कभी न कभी हम सबके पास आती ही है, लेकिन अिस बातसे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कि मौतका सामना हम कैसे करते हैं। जो हिम्मत मौत पर विजय पा लेती है वही टिकती है और हमारे सामने अैसा अुदाहरण रखती है, जो हमें पहलेसे ज्यादा अच्छे बना देता है।"

श्री नेहरूने कहा कि भारतके लम्बे अितिहासमें कौसी आक्रमण हुये और कौसी अुतार-चढ़ाव आये, लेकिन सार्वभौम सत्ता भारतके भीतर ही रही। भारतमें ब्रिटिश, फ्रेंच और पुर्तगाली शासन कायम होने पर पहली बार भारतके राजकाजका संचालन बाहरसे होने लगा। अिसी औपनिवेशवादने भारतको अितिहासमें पहली बार दूसरे देशके अधीन बना दिया। ब्रिटिश सत्ता भारतमें प्रधान हो गयी और फ्रेंच तथा पुर्तगाली भूभाग छोटे-छोटे टुकड़ोंके रूपमें रह गये। ये टुकड़े ब्रिटिश सत्ताके संरक्षणके कारण भारतमें बने रहे। वे फ्रेंच भारत और पुर्तगाली भारत कहे जाते रहे।

श्री नेहरूने आगे चलकर कहा, "राष्ट्रीय आन्दोलनका मुख्य हेतु बाहरी सत्ताका यानी पराधीन देश पर दूरकी औपनिवेशिक सत्ताके शासनका अन्त करना था। जहां तक ब्रिटिश भारतका सवाल था, यह ध्येय शांतिपूर्ण ढंगसे सिद्ध हो गया। बादमें फ्रेंच भारतके सम्बन्धमें भी यह हेतु शांतिपूर्वक और बातचीतके जरिये अनिवार्य रूपमें सिद्ध हो गया। अब बाहरी सत्ताके अधीन भारतका वही हिस्सा बचा है, जो पुर्तगाली भूभाग कहलाता था। यह साफ है कि वहां दूर स्थित पुर्तगालका शासन और सार्वभौम सत्ता है। यह राष्ट्रवादकी संपूर्ण कल्पना और आधुनिक युगकी भावनाके खिलाफ है।

"यहां मैं यह नहीं बता सकता कि गोआमें परिस्थिति क्या रूप लेगी या हम आगे क्या कदम उठावेंगे। लेकिन अतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक हमारी सरकारका सवाल है, वह उसी मूल नीति पर चलेगी, जो हमने तय की है और हम पुर्तगाली शासनसे गोआको मुक्त करनेका ध्येय अपने सामने रखेंगे। इसमें मुझे जरा भी शक नहीं कि हम अपना यह ध्येय अवश्य सिद्ध करेंगे।"

श्री नेहरूने १५ अगस्तके दिन हुअे गोआ सत्याग्रहका जिक्र किया और कहा, "यह जाहिर है कि हमारी सरकार दूसरी सरकारके खिलाफ सत्याग्रह नहीं कर सकती। लेकिन व्यक्तियों या दलोंको सत्याग्रह करनेका अधिकार है, बशर्ते उसके अंसे कोअी नतीजे न आयें जो फौजी संघर्षको जन्म दें। बेशक, गोआमें या गोआके बाहर रहनेवाले गोआनियोंका यह अधिकार है कि वे गोआकी मुक्तिके लिये सत्याग्रह करें। अ-गोआनियोंको भी सिद्धान्तमें इस सत्याग्रहसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस सत्याग्रहको फौजी कार्रवाअीकी पूर्वभूमिका माना जाय, तो यह सत्याग्रह नहीं रह जाता, और कुछ भले हो। इसके अलावा, भारतीयों द्वारा सामूहिक सत्याग्रह करनेकी बातको हमने निस्साहित किया, क्योंकि उससे न केवल अवांछनीय परिस्थितियां और नअी अलझनें खड़ी होतीं, बल्कि इस समस्याके प्रति हमारे दृष्टिकोणके बारेमें दूसरे देशोंके लोगों पर गलत छाप पड़ती।

"इस सम्बन्धमें जिन बहुतसे गोआनियों और भारतीयोंने सत्याग्रह किया, उनके साहसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिये, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस सत्याग्रहके बहुतसे हिमायतियोंको सत्याग्रहके अर्थकी कोअी स्पष्ट कल्पना नहीं है। वे सत्याग्रहके साथ पुलिस कार्रवाअीकी भी बात करते हैं, मानो, जिन दोनोंका आपसी सम्बन्ध हो।"

श्री नेहरूने अपनी बात जारी रखते हुअे कहा, "ये दोनों मानसिक और भौतिक दृष्टिसे सर्वथा भिन्न बातें हैं। जिन दोनोंको मिला देनेका अर्थ है भ्रम और निष्फलताको जन्म देना। दूसरे देशोंके लोग सीधी कार्रवाअीकी इस शान्तिपूर्ण पद्धतिके आदी न होनेके कारण यदि सत्याग्रहका अर्थ न समझ सकें, तो मेरी समझमें यह बात आ सकती है। लेकिन भारतके लोगोंके लिये तो जिन दो विरुद्ध बातोंको मिला देनेका कोअी बहाना नहीं होना चाहिये, जिन्हें पिछले ३५ बरसोंसे इस पद्धतिकी तालीम दी गयी है। अगर हम फौजी या पुलिस कार्रवाअीको सही या वांछनीय मानते हैं, तो हमें तथाकथित सत्याग्रहकी पूर्वभूमिका तैयार किये बिना असा करना चाहिये।"

"गोआमें १५ अगस्तकी दुःखद घटनाओंके बाद भारतके लोगोंकी भावनाअें अतुल्य होना स्वाभाविक था। सारी दुनिया इस मामलेमें भारतीय पुण्य प्रकोपकी गहराअी और तीव्रताको देख सकी है। लेकिन अंसे बड़े प्रदर्शन अक्सर दूसरी ही दिशा पकड़ लेते हैं और अनुशासनबद्ध शक्ति और सहानुभूतिके प्रदर्शनके अंदले हम देखते हैं कि लोगोंकी अचूखल भीड़ कभी-

कभी दूसरोंके साथ बुरा व्यवहार करती है और अुन्हें अपनी पसंदका काम करनेके लिये मजबूर करती है। यही हाल इस मामलेमें भी हुआ। लोगोंका यह व्यवहार सत्याग्रहसे कोसों दूर था। बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि इसने अुन लोगोंके अदम्य साहस द्वारा पैदा किये हुअे भारी असरको कम कर दिया है, जिन्होंने पुर्तगाली हुकूमतका शान्तिपूर्ण विरोध करनेमें अपने प्राण निछावर कर दिये।"

"इसलिये, कुछ लोग जो इस आन्दोलनको गलत दिशामें मोड़ना चाहते हैं उससे हमें सावधान रहना चाहिये। असा करना कभी भी बुरा ही होता है, लेकिन आन्तर-राष्ट्रीय प्रश्नोंको हल करनेमें यह बुराअी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सत्याग्रह शांतिपूर्ण और अहिंसक तथा अनुशासनपूर्ण और निर्भय होना चाहिये। अनुशासनहीनता और अन्यायपूर्ण व्यवहारका सत्याग्रहसे कोअी सम्बन्ध नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग, जो केवल हिसामें ही विश्वास करते हैं, गलत ध्येयोंके लिये सत्याग्रहका दुरुपयोग करना चाहते हैं। कांग्रेसका यह फर्ज है कि वह अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहे और क्षणिक अुत्तेजना और क्रोधके आवेशमें न बह जाय। हमें जनताको सही रास्ता बताना है, भले वह लोगोंको प्रिय न हो। हमें अपने आधारभूत सिद्धान्तोंको मजबूतीसे पकड़े रहना चाहिये। इसी बातने भूतकालमें कांग्रेसको महान बनाया है, और यही चीज भविष्यमें कांग्रेसको और महान बनायेगी।"\*

(अंग्रेजीसे)

## लोकजीवन और सिनेमा

थोड़े दिनोंसे अखबारोंमें, विशेषकर फिल्मी पत्रोंमें, अेक बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है। फिल्मवाले बहुत रूठ गये हैं। क्या फिल्मसे संबंध रखनेवाली केन्द्रीय मिनिस्ट्रीको, क्या पार्लियामेन्टके कांग्रेसी सदस्योंको, सबको आड़े हाथों ले रहे हैं। लोग अुन्हें मनाते हैं। पर वे जल्दी कहां माननेवाले हैं?

बात यह है कि पार्लियामेन्टके चौसठ सदस्योंने अेक शिकायत पेश की। शिकायत क्या अपनी अेक शंका जाहिर की। ये भाअी थे सब कांग्रेसवाले। इसलिये अुन्होंने अपनी दास्तान कांग्रेस वर्किंग कमेटीके आगे पेश की। कहना अुनका यह था कि आजकलकी फिल्मोंसे लड़के-लड़कियोंके चालचलन पर खराब असर पड़ता है। अब मुल्लाकी दौड़ मसजिद तक। इसलिये वर्किंग कमेटीने सरकारसे यानी केन्द्रीय सूचना और रेडियो मिनिस्ट्रीसे कहा कि इस तरफ ध्यान दिया जाये। यूं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी कोअी जल्दी कदम अुठानेवाली जमायत है नहीं, बहुत धीरेसे कदम बढ़ाती है, — जैसे देखिये गोआका सवाल — लेकिन इस मामलेमें न जाने क्या हुआ, उसने जल्दी ही फैसला कर डाला और सूचना मिनिस्ट्रीको ताकीद की कि जरा अेहतियात बरतें — यानी फिल्मोंका सेन्सर ज्यादा सख्तीके साथ करें। कांग्रेसके जनरल सेक्रेटरीने भी अपने चौसठ साथियोंकी शिकायतमें दो लफ्ज और जोड़ दिये। फिर क्या था? फिल्मवाले आगबबूला हो गये।

हिन्दुस्तानके फिल्म फेडरेशनके सभापति तो मानों कबके खार खाये बैठे थे। अुन्होंने अेक लम्बा-चौड़ा बयान दिया। उसमें तंग नजरवाले पाखण्डियों और सामाजिक प्रतिक्रियाशीलोंको सावधान किया है कि फिल्मोंको बदनाम करनेकी हरकतें छोड़ दें। अुन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटीके रवैये पर दुःख बताते हुअे कहा कि उसने फिल्म अुद्योगकी बात सुने बिना ही फिल्म मिनिस्ट्रीको शिकायत लिख भेजकर हमारे साथ नाअिन्साफी की है। फिल्म फेडरेशनके प्रधानका कहना है कि असा करनेसे वर्किंग कमेटीने कुछ दलोंको इस बातका मौका दे दिया कि वे जिस तरह चाहें वर्किंग

\* २५ अगस्त, १९५५ के 'हिन्दू' से संक्षिप्त।

कमेटीके लफ्जोंके माने लगायें। अन्होंने कहा कि पार्लियामेन्टके मेम्बरोंके, सूचना मिनिस्ट्रीके और कांग्रेस वर्किंग कमेटीके अिस कामसे यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि सिनेमा अिण्डस्ट्री पर कालिख लगानेकी कुछ लोगोंकी कोशिश लगातार जारी है, और अिस बहाने वे लोग सिनेमाको सरकारी चंगुलमें फंसाना चाहते हैं।

अन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि चौसठ सदस्योंके अेत-राज अुस मिनिस्ट्री पर लानत भेजते हैं, जो फिल्मीका सेन्सर करती है। फिर अेक बात बड़ी जोरदार कह डाली। वह यह कि अगर कुछ फिल्में अितनी ज्यादा खराब हैं, तो अिसके लिये मिनिस्ट्रीसे जवाब तलब किया जाये कि अुसने अैसी फिल्मीको आखिर पास क्यों होने दिया। अगर किसी फिल्मसे शिकायत थी तो हुक्कामी दर्जे पर अुसकी जांच कराओ जानी चाहिये थी। यह न करके सारे फिल्मी अुद्योग पर हाथ साफ करना कहांकी शराफत है?

कांग्रेसके चौसठ संसद सदस्यों और फिल्म-नरेशकी बातें अूपर हमने अपने शब्दोंमें दी हैं और दोनों पक्षोंके कहनेका सार रख दिया है। हमें नहीं मालूम कि सूचना मिनिस्ट्री वाकअीमें कोअी कदम अुठायेगी या नहीं, या फिल्म फेडरेशन-प्रधानके कहनेके मुताबिक तफसीलमें जाकर बाकायदा जांच करायेगी या नहीं। लेकिन हम अितमीनान दिलाया चाहते हैं फिल्म-नेताको कि अुनकी तो पांचों अंगुलियां घीमें हैं। अगर सरकार जांच कराती है तो अुसी पर अेताराज अुठेगा कि अमुक अमुक फिल्मीके दिखानेकी अिजाजत दे कैसे दी। और अगर जांच नहीं कराती है तो पार्लियामेन्टके मेम्बरोंका कहना न कहना बराबर हो जायगा।

लेकिन फिल्म-अुद्योग और फिल्म मिनिस्ट्रीकी लड़ाओ मियां-बीबीके जैसी लड़ाओ है, जो कभी गरम कभी नरम। अिसमें किसीको पड़नेकी जरूरत नहीं है। न हम पड़ना ही चाहते हैं। मगर हम जरा सार्वजनिक दृष्टिसे अिस मसले पर विचार करना चाहते हैं।

हमने सिनेमाके टिकटघरों पर अैसी भयानक भीड़ और मार-पीट होते देखी है, जो रेलवेके टिकटघरों पर भी नहीं देखी। हमने शहरके नौजवानोंको आपसमें बातें करते सुना है कि किस फिल्मी सितारेने पहले किस खेलमें हिस्सा लिया और किस फिल्मीमें कौन कौन है। हमने छोटे छोटे लड़कोंको फिल्मी गीत गाते सुना है। हमने सम्य घरानेके शिक्षित स्त्री-पुरुषोंको अमुक अमुक फिल्मका जिस तड़पके साथ अिन्तजार करते देखा है, अुतनी बेचैनी अुन्हें अपनी औलादके देरसे घर लौटने पर भी मुश्किलसे होती होगी। साथ ही साथ हम शहरमें ही रहनेवाले अैसे परिवारोंको जानते हैं, जो बरसों कोअी खेल देखने नहीं जाते। अिसलिये हम सिनेमाको शहराती जीवनका अेक लाजमी हिस्सा तो नहीं मगर अेक जबरदस्त हिस्सा जरूर कहेंगे। हम यह भी जानते हैं कि आज हिन्दुस्तानमें कपड़ेकी मिलोंके बाद सबसे बड़ा अुद्योग फिल्मका ही है। और अिस अुद्योगसे सरकारको लाखों करोड़ों रुपयेकी आमदनी होती है। अिसलिये अिस कारोबारमें सरकारकी भी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है।

पता नहीं हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी या नहीं। लेकिन अब हम फिल्म-अुद्योगवालोंसे कुछ निवेदन करना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि फिल्म-अुद्योगका कर्तव्य क्या है। क्या अुनका धंधा महज चन्द घंटोंके लिये लोगोंको घेर कर रुपया कमाना है, या कुछ और भी? क्या अुनका मकसद हिन्दुस्तानके ठाट-बाटदार, पैसा-परस्त, मोटरबाज लोगोंकी जिन्दगीके गीत गाना है, या कुछ और भी? हमारी अपनी दृष्टिसे तो लोकजीवनमें फिल्मका वही स्थान है, जो समाचार-पत्रोंका। अिसलिये हम मानते हैं कि समाचारपत्रकी तरह फिल्म भी तीन काम करे:

(१) लोगोंको जो चीज प्रिय हो, वह लोगों तक आसानीसे पहुंचाना।

(२) लोगोंके लिये जो चीज हितकारी हो अुसकी तरफ लोगोंका ध्यान खींचना।

(३) लोगोंको जिस चीजसे तकलीफ पहुंचती हो अुससे दूर रहनेकी लोगोंको ताकीद करना और जिस चीजसे अुन्हें शिकायत हो वह सरकार तक पहुंचाना।

हमारा खयाल है कि अगर किसी देशकी फिल्में केवल पहला काम करती हैं, तो वह वहांकी जनताकी मित्र नहीं शत्रु हैं। ठीक अुसी तरह जिस तरह किसी आदमीका अैसा मित्र, जो अुसकी कमजोरियोंसे फायदा तो अुठा ले मगर अुन कमजोरियोंके दूर करनेमें अपने मित्रकी मदद नहीं करे। मसल मशहूर है कि नादान दोस्तसे दाना दुश्मन बेहतर है। बहुत नम्रताके साथ हम कहना चाहते हैं कि हमारे देशका फिल्म-अुद्योग अभी हमारे नादान दोस्तकी हालतमें है। हमें नहीं मालूम कि आजादीके बाद फिल्मीने अपने ढंगमें कोअी फर्क किया या नहीं। फिल्में ज्यादा तादादमें तैयार कर लेना, सेंसरकी झंझटोंसे जल्दी मुक्त हो जाना, फिल्म जांच कमेटीकी रिपोर्ट तैयार हो जाना — अगर सिर्फ यही पैमाना है हमारे फिल्म-अुद्योगकी जागृति और अुन्नतिका, तो हमें दुःखके साथ कहना होगा कि वह अभी धोखेमें है और अुसने अपना धर्म पहचाना नहीं।

स्पष्ट शब्दोंमें कहें तो हमें अपना फिल्म-अुद्योग बहुत डरपोक मालूम पड़ता है। वह अेक तरफसे जनताको खुश रखना चाहता है और दूसरी तरफसे सरकारको भी। अुसे हर फिल्मके बनाते वक्त यही फिक्र रहती है कि वह जनताको अच्छी लगेगी या नहीं? और सरकारकी पालिसीके खिलाफ तो नहीं पड़ेगी? अुसे यह फिक्र नहीं रहती कि यह फिल्म जनताके लिये अच्छी होगी या नहीं? या सरकारकी आंखें खोलेगी या नहीं? सारा फर्क है अच्छी होने और अच्छी लगनेका। मरीजके लिये कड़वी दवा अच्छी होती है पर अुसे अच्छी लगती नहीं। क्रोधातुर या पागल आदमीको चाकू या छुरी अच्छी लगती है पर अच्छी होती नहीं है। हिम्मतका काम है मरीजको कड़वी दवा पिलाना और पागलसे छुरी छीनना। हमारी समझमें नहीं आता कि हमारी फिल्में अभी तक अैसी हिम्मत क्यों नहीं दिखातीं।

जरा और साफ साफ कहें तो हमें कबूल करना पड़ेगा कि अभी तक हमारी फिल्में देशका जो जीवन है अुससे अछूती हैं। देशका जीवन माने देशके दुखिया और सुखियाका जीवन। दूसरे शब्दोंमें, हमारी फिल्में सुखियाके जीवनकी झांकी देती हैं, पर न दुखियाकी और न भुखियाकी। फिर, देहातके जीवनसे तो वे और भी ज्यादा कोसों दूर हैं। अगर अंग्रेजी राजके जमानेसे या अुसके पहलेसे देशमें बेकारीका सिलसिला बढ़ा है, देशमें बीड़ी-सिगरेट, चायका अिस्तेमाल फैला है, देशमें स्त्री-व्यापार और चोरी-डकैतीने तरक्की की है, देशमें नंगे-भूखोंकी तादाद बढ़ी है, तो फिल्में अुसे क्यों नहीं पेश करतीं और अुस तरफ जनता व सरकारका ध्यान क्यों नहीं खींचतीं? हां, अगर फिल्म-अुद्योग अिन सब चीजोंको हितकर मानता हो, तब तो बात ही दूसरी है। अगर लोगोंको खुद हाथसे काम करना चाहिये, अगर हर पढ़े-लिखेको भी शरीर-श्रम करना चाहिये, अगर छुआछूत खतम होनी चाहिये, अगर अंगीका पेशा या तो मिटना चाहिये या सार्वजनिक बनना चाहिये, अगर लोगोंको अपने घरकी या प्रदेशकी या देशकी बनी चीजें अिस्तेमाल करनी चाहिये, तो फिल्में क्यों नहीं अिस तरहकी प्रेरणा देतीं? अगर सरकारी तनख्वाहोंमें जमीन-आसमानका भेद मिटना चाहिये, अगर दफ्तरोंमें साहब-मुलाजिमका ढंग बदलना चाहिये, अगर

घूसखोरी और पुलिसकी ज्यादतियोंको खतम होना चाहिये, तो फिल्में क्यों नहीं इस तरफ कदम बढ़ातीं? क्या घरकी देवीको चूल्हेकी देवी और अपने स्वामीकी दासी बनकर रहना चाहिये, क्या हमारी बहनोंको अपना बदन जेवर लादकर सदा भयभीत रहना चाहिये, क्या हमारे भाइयोंको शादियोंमें हजारोंका दहेज लेना चाहिये? अगर नहीं तो फिल्मवाले क्यों नहीं सबको चौकसा कर देते?

हम थोड़ेमें ही संतोष करेंगे। हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं अपने फिल्मी भाजी-बहनोंसे कि क्या आजकी-सी फिल्में दिखाकर देशवासियोंको सच्चे और बहादुर, निडर और नम्र बननेकी प्रेरणा मिलेगी? क्या अिन फिल्मोंके अनुसार आचरण करने पर हम बाहरी शत्रुओं या भीतरी संकटोंका शानके साथ सामना कर सकेंगे? क्या अिन फिल्मोंसे आजके नौजवानमें यह अुमंग पैदा हो रही है कि मैं आजाद मुल्कका आजाद अिन्सान हूँ और यह आजादी में किसी कीमत पर भी बेचनेको तैयार नहीं हूँ? या क्या अुसमें यह लालसा पैदा होती है कि मैं देशके दीनसे दीन और दुःखीसे दुःखी लोगोंकी सेवामें अपना जीवन अर्पित कर दूँ?

अेक निवेदन और। हर फिल्ममें संगीत रहा करता है। अिस संगीतमें गाने कौनसे रहते हैं? हम नहीं कहते कि ये गाने ज्यादातर खराब होते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि हिन्दीकी जो बेमिसाल धरोहर है—संत-साहित्य—अुसका अुपयोग क्यों नहीं किया जाता? हमारे अिस अनमोल खजानेको लूट कर फिल्मवाले क्यों नहीं अिसे बच्चे बच्चे तक पहुंचा देते? क्या कवीर, तुलसी, नानक, दादू, सूर, रहीम, मीरा आदिके पद अिस लायक नहीं कि फिल्मोंमें अुनको शामिल किया जावे और अिस तरह यह अनोखे हीरे-जवाहर घर-घर पहुंचाये जायें? संतोंकी अिस वसीयतको ठुकरा कर नये नये भजन-गीत तैयार करनेमें समय व शक्ति नष्ट करना कहांकी अक्लमन्दी है? क्या अिस साहित्यमें कोभी भी चीज हमारे कामकी नहीं रह गयी है?

अिन सब बातों पर हमारे फिल्मी बंधुओंको विचार करना पड़ेगा। वह जनताकी अठखेलियोंके साथ खिलवाड़ हमेशा ही नहीं कर सकते। जैसा हमने अुपर कहा, जो चीज जनताको प्रिय हो वह भी देना चाहिये। लेकिन केवल वही चीज नहीं। मनोविनोदकी भी सीमा होती है। फिल्म केवल मनोविनोदका साधन नहीं, मन-बलन्दीका भी साधन बनना चाहिये। अच्छी फिल्म तो अच्छा अुपन्यास और अच्छा नाटक दोनों है। यानी फिल्मकी पहुंच कलाकी किसी भी दूसरी कृतिसे कहीं ज्यादा दूरकी और गहरी है। कहा जाता है—जहां न जाये रवि वहां जाये कवि। हम आगे बढ़कर कहेंगे कि जहां न जाये कवि वहां जाये चित्र-छवि। और अच्छी चित्र-छवि या सिनेमा वही माना जायगा जो लोगोंको स-नेमा बना दे, जो अुनको यम-नियमका पाबन्द बनाकर अुनको सुन्दर और अुच्चतर मनुष्य बना दे। परम पितासे हमारी प्रार्थना है कि अपने फिल्म अुद्योगवाले भाजी-बहनोंकी हर सत्-कामना पूरी करे।

सुरेश रामभाजी

### सर्वोदय

लेखक: गांधीजी; संपा० भारतन् कुमारप्पा

कीमत २-८-०

डाकखर्च ०-१२-०

### भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

मवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

## कपड़ा-अुद्योगके लिये योजना

अपने देशकी परिस्थितिको देखते हुअे अैसा लगता है कि अपने गांवोंके गौरव और स्वातंत्र्य. दोनोंको सुरक्षित रखना हो तो अुन्हें अपनी जीवनकी आवश्यकताओंमें स्वावलंबी होना चाहिये। लेकिन अिसके बावजूद विदेशी शासन-कालमें हमारे यहां कपड़ा-अुद्योगका विकास अलग ढंग पर हुआ और अुसका बहुत ज्यादा केन्द्रीकरण हो गया है। फलतः गांवोंका प्रमुख अुद्योग नष्ट हो गया है और बेकारी तथा अर्ध-बेकारी बहुत फैल गयी है।

अभी हमारे यहां अपने अुपयोगके लिये ५७६ करोड़ गज और निर्यातके लिये ८० करोड़ गज कपड़ेकी मांग है। अिसमें से मिलोंके जरिये ५०० करोड़ गजका अुत्पादन होता है, अिसमें जीविका तो केवल ७ से ८ लाख तक लोगोंको ही मिलती है।

अिसलिये दूसरी पंचवर्षीय योजनामें शामिल करनेके लिये अखिल भारत ग्रामोद्योग बोर्डने कपड़ेके अुत्पादनकी अेक नयी योजना तैयार की है, अिससे बेकारीका बड़ा प्रश्न हल हो सकेगा और अिस अुद्योगका विकेन्द्रीकरण भी होगा।

बोर्डकी मान्यताके अनुसार १९६०-६१ में, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजनाके अन्तमें देशके अन्दर कपड़ेका अुपयोग बढ़कर ७२० करोड़ गज हो जायगा और निर्यात भी १०० करोड़ गज हो जायगा। अिस तरह कुल ८२० करोड़ गज कपड़ा अुत्पन्न करना होगा।

अिस ८२० करोड़ गज कपड़ेके अुत्पादनके लिये बोर्डने नीचे लिखे अनुसार बटवारा किया है: मिलें अिस समय ५०० करोड़ गज कपड़ा अुत्पन्न करती हैं और यंत्र-करघे २० करोड़ गज अुत्पन्न करते हैं; दोनोंका यह अुत्पादन चालू रहे। हाथ-करघों पर अभी १३३ करोड़ गज कपड़ा बना जाता है, अुसे बढ़ाकर १५० करोड़ गज किया जाय। अुसी तरह अभी खादीका अुत्पादन ३ करोड़ गज है, अुसे बढ़ाकर अगले पांच वर्षमें १५० करोड़ गज किया जाय।

अैसा करनेके लिये जरूरी नीतिके तौर पर निम्नलिखित सूचनार्यें की गयी हैं:

- (१) मिलोंकी मौजूदा अुत्पादन-शक्तिकी वृद्धि पर रोक लगाना।
- (२) यंत्र-करघोंकी अुत्पादन-शक्तिकी वृद्धि पर रोक लगाना।
- (३) मिलोंकी सूत कातनेकी शक्ति पर रोक लगाना।
- (४) हाथ-करघोंकी कुल अुत्पादन-शक्तिका अभी ३३.३% ही अुपयोगमें आता है, अुसके बजाय ६६.६% का अुपयोग करना।
- (५) ४० करोड़ रतल अतिरिक्त सूतकी मांग पूरी करनेके लिये देशभरमें १७ लाख अम्बर चरखे दाखिल करना।

टेक्सटाइल अिन्व्वायरी कमीशनके मतानुसार देशमें २१.९ लाख हाथ-करघे हैं और अुनसे १५ लाख मनुष्योंका निर्वाह होता है। पर ग्रामोद्योग बोर्डके मतानुसार देशभरमें ज्यादा नहीं तो २५ लाख हाथ-करघे हैं और अुनसे ३७.५ लाख मनुष्योंका निर्वाह होता है।

अिसके सिवा हाथ-करघे पर रोज ६ गजके हिसाबसे वर्षमें ३०० दिन काम करके ये करघे कुल ४५० करोड़ गज कपड़ा तैयार कर सकते हैं। लेकिन बोर्डके मतानुसार वे अभी केवल १४० करोड़ गज कपड़ा ही बनाते हैं और अुनकी सहायताके लिये जो प्रयत्न किये गये हैं, अुनके परिणाम-स्वरूप यह अुत्पादन १९५५-५६ में बढ़कर १५० करोड़ गज हो जायगा। अिस तरह

अनुकी उत्पादन-शक्तिके ३३.३ % का ही अपुयोग किया जा सकेगा। परन्तु यहां तक तो वे मिलके सूतका ही अपुयोग करेंगे।

अिस विषयमें यहां यह अुल्लेखनीय है कि हाथ-करघोंकी प्रायः ६६% अुत्पादन-शक्तिका अपुयोग करनेके लिये जो लगभग ४० करोड़ रतल सूत चाहिये अुसकी प्राप्तिके लिये टेक्सटाअिल अिन्व्वायरी कमेटीने ३६ करोड़की पूंजी लगाकर सूत पैदा करनेवाली अतिरिक्त मिलें स्थापित करनेकी सूचना की है!

अिसके अिलाफ ग्रामोद्योग बोर्डने हाथका सूत पैदा करनेकी योजना की है। अुसके लिये अुसने हाथसे चलनेवाले १२ से ४० अंक तकका सूत कातनेवाले चार तकुओंसे युक्त १७ लाख अम्बर चरखे स्थापित करनेकी सूचना की है, अिसमें केवल १५.५ करोड़ रुपयोंकी पूंजी लगेगी!

अिस अम्बर चरखेके द्वारा देशमें ३४.४ लाख कातने और पींजनेवाले प्रतिदिन औसतन् अेक रुपया कमा सकेंगे।

दूसरी पंचवर्षीय योजनामें अभी जो चरखे चल रहे हैं वे तो चलेंगे ही। अम्बर चरखा तो जो लोग कातनेका काम पूरा समय और धंधेकी तरह करना चाहते हैं वे ही चलावेंगे, यद्यपि धीरे धीरे चालू चरखोंकी जगह अम्बर चरखा दाखिल करके अुसे अधिक बढ़ाया जा सकेगा। अभी तो सादे चरखेकी खादीका जो ३ करोड़ गज अुत्पादन होता है अुसे ही बढ़ाकर ५ करोड़ गज कर देना है और अुसे पांच वर्ष तक चालू रखना है।

अुपर बताये अनुसार कपड़ा अुत्पन्न करनेके बाद भी अुसे बेचनेका प्रश्न तो खड़ा ही रहता है। अम्बर चरखेको दाखिल करनेके बाद भी अेक ही अर्ज और अंकके मिल-कपड़े और खादीमें प्रतिगज बारह आनेका फर्क रहता है। अिसलिये मुक्त बाजारमें हाथ-करघेके अथवा अम्बर सूतके कपड़ेको टिकाना हो, तो प्रति-योगिता न होने देना जरूरी है और यह सारे देशके हितमें योग्य कीमत-नीतिको अपनाकर ही किया जा सकता है। दूसरी तरह कहें तो अेक सामान्य अुत्पादन कार्यक्रमका सफल अमल कपड़ा-अुद्योगकी सारी शाखाओंको नियंत्रणमें रखनेवाली सामान्य कीमत-नीतिके अुपर आधार रखता है और यह कीमत अिस तरह निश्चित की जानी चाहिये कि खादी सस्तीसे सस्ती बिके और आबकारी जकातके जरिये मिलके कपड़ेकी कीमत अूंची की गयी हो।

अिस कीमतको तय करनेके लिये बोर्डने अेक कपड़ा-अुद्योग कीमत-समितिकी भी सूचना की है। समितिमें अिस अुद्योगकी विविध शाखाओंके प्रतिनिधि होंगे और वे आपसमें चर्चा तथा समझौतेके द्वारा कीमत निर्णय करनेका कार्य करेंगे।

कातने और धुननेवालोंकी तालीमके लिये अम्बर चरखा और चालू खादीकी अिस सारी योजनाके पीछे सब मिलाकर ५१.७३ करोड़ रुपये खर्च होनेका अन्दाज है। अुसके द्वारा कुल ४९ लाख व्यक्तियोंको पूरे समयका काम दिया जा सकेगा; और चालू चरखे पर रोजकी २ लच्छियोंके हिसाबसे सालमें १५० ही दिन कातनेवाले व्यक्तियोंको भी साथमें गिनें, तो अैसे ४०.१ लाख कातनेवालोंको भी रोजी मिल सकेगी। अिस तरह कुल ८९ लाख मनुष्योंको रोजी देनेकी और अुसके द्वारा लगभग चार अरब रुपयोंकी आय बांटनेकी शक्यता है।

कपड़ा-अुद्योगका विकास अिस तरह नये मार्गसे किया जाय तो ही अपने देशमें आम जनताकी बेकारी और अर्ध-बेकारीका प्रश्न हल करना आसान होगा।

२०-८-५५  
(गुजरातीसे)

वि०

## शराब बनाम दूध

रूटरके लन्दनसे भेजे हुअे १२ अगस्तके अेक समाचारमें नीचेकी ध्यान देने लायक बात कही गयी है:

“ब्रिटिश नाविक, जो अत्यधिक मात्रामें शराब पीनेके लिये मशहूर हैं, अब शराबके बदले दूध पीने लगे हैं।”

ब्रिटिश सेना और शाही हवायी सेनाके कर्मचारी शराबके बदले अक्सर चाय, कॉफी और नीबूका शरबत पीते हैं।

फौजियोंकी शराब पीनेकी आदतमें यह ‘भारी परिवर्तन’ अुस नयी जांचसे प्रकट हुआ है, जो लगभग सारे फौजी कैन्टीन चलातेवाले अेक संगठन द्वारा की गयी थी।

अिन कैन्टीनोंमें ५० साल पहले ९५ प्रतिशत शराबकी बिक्री होती थी। जांचका कहना है कि अब शराबकी बिक्री ५ प्रतिशत रह गयी है।

अेक जांच प्रवक्ताने कहा कि हवायी सेनाके लिये दूधकी बिक्रीमें आश्चर्यजनक वृद्धि हो गयी है। ‘दूसरी दो सेनाओंमें शराबकी जगह चाय, कॉफी और दूसरे मृदु पेयोंका प्रचार तेजीसे बढ़ रहा है।’

हमें मालूम हुआ है कि फ्रान्समें भी सार्वजनिक जीवनमें काम करनेवाले प्रमुख लोगों द्वारा जनताको शराबघरोंमें जानेके बजाय दूधघरोंमें जानेके लिये प्रोत्साहित करनेका जाग्रत प्रयत्न किया जा रहा है।

अगर ये देश, जो शराबके घर कहे जा सकते हैं, बदल रहे हैं, तो भारतको तो अिस दिशामें जल्दी ही हिम्मत दिखानी चाहिये, शराब पर रोक लगानी चाहिये और अैसा तुरन्त करना चाहिये। और सरकारोंको शराब वगैरा नशीले पेयोंका अुत्पादन और बिक्री बन्द करके गायकी रक्षाके लिये और अधिक तीव्र प्रयत्न करना चाहिये तथा अधिक मात्रामें दूधकी प्राप्तिको निश्चित बनाना चाहिये। अिससे न केवल धनकी ही प्राप्ति होगी, बल्कि स्वास्थ्य और सुखकी भी प्राप्ति होगी। तभी हम अिस बातकी सचायीको समझेंगे कि गाय वस्तुतः भारतमें हमारी समृद्धिकी जननी है।

३१-८-५५  
(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

## शराबबन्दी क्यों ?

भारतन् कुमारप्पा

कीमत ०-१०-०

डाकखर्च ०-४-०

नवजीवन प्रकाशन मन्बिर, अहमदाबाद-१४

विषय-सूची	पृष्ठ
हम युद्धका आश्रय नहीं लेंगे	२१७
गोआका स्वातंत्र्य-युद्ध और गांधीजी	२१७
युद्ध और शान्ति-कालमें सेनाके कार्य	२१८
नौजवानोंमें अनाचार	२१९
गोआका प्रश्न	२२०
लोकजीवन और सिनेमा	२२१
कपड़ा-अुद्योगके लिये योजना	२२३
टिप्पणियां :	

भाषायें और भारतीय अेकता

२१९

शराब बनाम दूध

म० प्र०

२२४